एस0एन0डी0 2016-17

वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-4/2017/1799/एक-5-2016-91/2015

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2017**

विषयः- जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में 150 सीट क्षमता के अति-आधुनिक मीटिंग हाल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्रांक-जी-98(2)/12-भवन-86/2015, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में 150 सीट क्षमता के अति-आधुनिक मीटिंग हाल के निर्माण कार्य हेतु उच्च् विशिष्टियों की कार्य मदों सहित आंकलित लागत रू0 531.59 लाख (रूपये पांच करोड़ इक्कतीस लाख उनसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 231.59 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कतीस लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था पैकफेड से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्क्फोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाय और न ही स्वीकृत धनराशि का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाय अन्यथा इनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(4) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध ढ़ंग से कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप उच्चकोटि की हो तथा निर्माण कार्य समयान्तर्गत सम्पादित हों तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्य की मानीटरिंग भी सुनिश्चित की जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति पी0एफ0ए0डी0/ई0एफ0सी0 तथा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 23-3-2013 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/ विस्तार/पुर्ननिर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (ई) अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-ई-5-03/दस-2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द
अनु सचिव।

संख्या-4/2017/1799(1)/एक-5-2016-91/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
6- प्रबंधक निदेशक, पैकफेड/सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6/गार्ड पत्रावली।

भवदीय,
गिरीश चन्द
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।